न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 05/2024

(GCMS 2024/5)(212826908073384)

बंसीलाल पुत्र जोधा राम जाति बिश्नोई निवासी वीपीओ 54 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, **तहसीलदार (भू.अ.), पदमपुर** जिला श्रीगंगानगर

07.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से श्री राधेश्याम गोयल, अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.12.2023 से बारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में समस्त सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई और ना ही इसमें दस्तावेज पर अंकित किया है कि ये सूचनायें किस बिन्दु से सम्बन्धित है। इसलिए तहसीलदार पदमपुर पर सूचना का अधिकाार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित की जावे तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे तथा प्रार्थी को 20,000/– रूपये मानसिक एवं शारिरीक परेशानी के दिलावाये जाकर, समस्त सूचनाऐं उसे उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी बंसीलाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.12.2023 के द्वारा तहसीलदार(राजस्व), पदमपुर से निम्न बारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. मुरब्बा नं. 35 जोधाराम पु[illegible]रचन्द जाति बिश्नोई के राम राजस्व रिकॉर्ड में जो [illegible] है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. इस भूमि पर सड़क बनाने हेतु जिस आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसका नाम, पता, दिनांक व किला नं. की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. आवेदन देने के पश्चात जिस अधिकारी द्वारा मौका मुआईना सड़क बनाने हेतु किया गया है, उसका नाम, पद व दिनांक की सूचना व मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. सड़क जो बनाई गई है, उसकी लम्बाई, चौडाई व सड़क बनाने में लगे समय की अवधि की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. उस संस्था, ठेकेदार व फर्म का नाम जिसके द्वारा इस सड़क का निर्माण किया गया है व प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. सड़क निर्माण हेतु जिस अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, उस अधिकारी का नाम, पद व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. सड़क निर्माण में लगी कुल लागत की सूचना व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. सड़क निर्माण में लगे निर्माण सामग्री की सूचना व इस सड़क के टूटने के बाबत जो अवधि सरकार व ठेकेदार द्वारा निर्धारित की गई है, की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
9. सड़क निर्माण से पहले नियमों के अन्तर्गत कृषि भूमि के खातेदार को नोटिस दिया जाना आवश्यक है, उसकी सूचना व जो नोटिस जोधाराम पुत्र श्री हरचन्द को दिया गया है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
10. सड़क निर्माण हेतु [illegible] जो मुआवजा प्रति किला के हिसाब से दिया जाता है उस राशि की सूचना व सरकारी नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

11. उपरोक्त भूमि में सड़क निर्माण हेतु किसी अन्य खातेदार द्वारा कोई आपत्ति की गई या सरकार से मुआवजा उठाया गया है तो उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
12. जमीन नहरी है या बरानी है, इसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

तहसीलदार (भू.अ.), पदमपुर ने अपने पत्रांक भू.अ./2023/2957 दिनांक 08.12.2023 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार से है :

1. बिन्दु संख्या 1 में जमाबन्दी की प्रति संलग्न कर दी गई है।
2. बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना में रास्ता श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, श्रीकरणपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/08/1974 दिनांक 14.10.2008 की पालना में स्वीकृत है।
3. बिन्दु संख्या 4,5,6,7,8 में मौका की रिपोर्ट पटवारी संलगन है।
4. बिन्दु संख्या 9,10,11,12 में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, श्रीकरणपुर के आदेश क्रमांक/राजस्व/08/1974 दिनांक 14.10.08 की पालना में स्वीकृत।

नोट : बिन्दु संख्या 2,3,9,10,11,12 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, पदमपुर से सम्बन्धित होने से पत्र सम्बन्धित कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
पदमपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:03 IST
Reason: SelfAttested

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया। पाया कि तहसीलदार (भू.अ.), पदमपुर ने उक्तानुसार प्रार्थी को सूचित किया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि **वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार तहसीलदार (भू.अ.), पदमपुर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार (भू.अ.), पदमपुर को आदेशित किया जाता है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार पुनः बिन्दुवार सूचनाएं अपीलार्थी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें एवं अपीलार्थी बिन्दु संख्या 2,3,9,10,11,12 की सूचनाएं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर एवं तहसीलदार (भू.अ.), पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2024.02.15 16:03:03 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर